Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **डूंगरपुर में हैड कानिस्टेबल 6 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *10 फरवरी, शुक्रवार*। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर डूंगरपुर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये ईश्वर लाल खराड़ी हैड कानिस्टेबल पुलिस चौकी देवल, पुलिस थाना सदर, जिला डूंगरपुर को परिवादी से **6 हजार रूपये** की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की डूंगरपुर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके विरूद्ध दर्ज मारपीट के प्रकरण में मदद करने की एवज में अनुसंधान अधिकारी ईश्वर लाल खराड़ी हैड कानिस्टेबल पुलिस चौकी देवल, पुलिस थाना सदर, जिला डूंगरपुर द्वारा **21 हजार रूपये** रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी के उदयपुर के **उपमहानिरीक्षक पुलिस श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल** के सुपरवीजन में एसीबी की डूंगरपुर इकाई के **उप अधीक्षक श्री हेरम्ब जोशी** द्वारा शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुये ईश्वर लाल खराड़ी पुत्र श्री तेजाजी मीणा निवासी सारोली, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर हाल हैड कानिस्टेबल पुलिस चौकी देवल, पुलिस थाना सदर, जिला डूंगरपुर को परिवादी से **6 हजार रूपये** की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि आरोपी द्वारा परिवादी से शिकायत से पूर्व ही **11 हजार रुपये** रिश्वत के रूप में वसूल कर चुका था।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।